# कार्यालय जिला कलक्टर भरतपुर

अपील / RTI / 03 / 2024

श्री शेर सिहं पुत्र श्री माधो सिहं निवासी, 590 राजेन्द्र नगर, राधा स्वामी सत्संग व्यास के सामने भरतपुर मो0 नं0 9680677142

....अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर, भरतपुर

....रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश दिनांक 25.01.2024

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपीलान्ट श्री शेर सिहं पुत्र श्री माधो सिहं निवासी, 590 राजेन्द्र नगर, राधा स्वामी सत्संग व्यास के सामने भरतपुर की अपील विरूद्ध लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर, भरतपुर के इस आशय की प्राप्त हुई है कि अपीलार्थी को चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। न्यायालय के पत्रांक कोर्ट / 23 / 30 दिनांक 15.01.2024 से लोक सूचना अधिकारी से सूचना उपलब्ध कराने / नहीं कराने की रिपोर्ट तलब की गई। लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर, भरतपुर के पत्रांक एपीएस / एडीएम / 2023 / 52 दिनांक 24.01.2024 से जबाब प्राप्त हुआ, जो शामिल मिसिल किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त जबाब का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी ने अपने जबाव में अंकित किया है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना आयुक्त, नगर निगम भरतपुर से सम्बन्धित होने के कारण

आरटीआई / अपील / 2024 / 03
शेर सिहं बनाम अति0 जिला कलक्टर भरतपुर

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (3) के अन्तर्गत दिनांक 06.11.2023 से आयुक्त, नगर निगम भरतपुर को भिजवा दी गई थी एवं इस बाबत् प्रार्थी को भी तत्समय ही सूचित भी कर दिया गया था।

उक्तानुसार प्राप्त जबाब से ज्ञात होता है कि अपीलान्ट द्वारा चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी अति0 जिला कलक्टर भरतपुर के स्तर पर लम्बित नहीं है। प्रार्थी, चाही गई सूचना के सन्दर्भ में नियमानुसार आयुक्त, नगर निगम भरतपुर कार्यालय में पत्राचार / सम्पर्क करें।

लोक सूचना अधिकारी के स्तर पर कोई सूचना लम्बित नहीं होने के कारण अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है, निर्णय की प्रति अपीलान्ट को (लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त पत्रादि की फोटो प्रति सहित) प्रेषित हो। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी अति0 जिला कलक्टर भरतपुर को प्रेषित हो। इस आदेश से सन्तुष्ट ना होने पर अपील राजस्थान सूचना आयोग, जवाहर लाल नेहरू मार्ग जयपुर में की जा सकती है।

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर
भरतपुर